रेरा ने पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के आडिटर को किया तलब

राज्य ब्यूरो, पटना : रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) ने पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के ऑडिटर को तलब किया है। यह पहली बार है जब रेरा ने किसी कंपनी के आडिटर को तलब किया है।

रेरा में बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही कंपनी के द्वारा ग्राहकों से करोड़ों रुपये की वसूली और कंपनी के हिसाब-किताब में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल को लेकर रेरा ने यह की है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई में रेरा के वरिष्ठ सदस्य आरबी सिन्हा ने पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के गोवा सिटी प्रोजेक्ट को लेकर यह आदेश दिया है। रेरा के अनुसार, पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन का एक भी प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे में उससे ग्राहकों से एक रुपया भी लेने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद कंपनी ने छह करोड़ 13 लाख से अधिक रुपये ग्राहकों से ले लिए जो अवैध है। कंपनी ने इसमें भी गड़बड़झाला किया है। इसकी जांच भी की जा रही है।

Scanned with CamScanner